न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः— 62/2011

भगवान सिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कंजौली, तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम —प्रार्थी

तहसीलदार, भरतपुर
—अप्रार्थी

प्रार्थना — पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 जा.दी.

आदेश

दिनांकः— 19—11—2018

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सपठित धारा 151 जा.दी. विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक वाद वास्ते डिक्लरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के यहां प्रस्तुत किया था। प्रार्थी का दावा मुकदमा संख्या 360/2002 दिनांक 22.06.2002 को अप्रार्थी के विरुद्ध डिक्री किया गया। प्रार्थी ने दावा डिक्री होने के बाद डिक्री की पालना के लिए न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के यहां इजराय पेश की जहां से डिक्री की पालना करने के लिए प्रार्थी के पास पत्रांक 1231 दिनांक 09.09.2002 को भेजा गया। जिसमें डिक्री की पालना करने के लिए अप्रार्थी को लिखा गया था, मगर अप्रार्थी ने आदिनांक तक डिक्री की पालना नहीं की है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर व अप्रार्थी को पुनः पत्रांक 2893 दिनांक 18.10.2002 से पालना करने को लिखा गया। लेकिन अप्रार्थी ने फिर भी डिक्री की

पालना नहीं की है। इस प्रकार अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 22.06.2002 की पालना न कर खुलआम उल्लंघन किया है। अप्रार्थी न्यायालय के आदेश की अवज्ञा का दोषी है।

अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.06.2002 की अवज्ञा करने के कारण सिविल जेल भिजवाया जावे तथा आदेश व डिक्री की पालना कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर दिनांक 27.06.2012 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि दावा डिक्री में वर्णित आराजी खसरा नंबर 399/0.23 हैक्टेयर गैर मुमकिन पटपरी मुताबिक आदेश श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के पत्र क्रमांक/राजस्व/12/2137/2000/29 दिनांक 11.10.2000 के अनुसार रास्ता हेतु आरक्षित की गई है। जिसका दावा दिनांक 22.06.2002 को प्रार्थी के पक्ष में किया गया। उक्त भूमि डिक्री से पूर्व ही रास्ता हेतु आरक्षित की जा चुकी है इसलिए डिक्री की पालना कानून के विपरीत है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के आदेश व डिक्री 22.06.2002 की बावत् किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया है। भूमि रेलवे लाईन व रास्ता से लगी हुई है, जो रास्ता के काम आ रही है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी का जवाब एवं उसके द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शा एवं वाके ग्राम कंजौली की जमाबंदी संवत् 2066–2069 का गहनता से अध्ययन किया। उक्त जमाबंदी में भी खसरा नंबर 399 रकबा 23 हैक्टेयर पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के पत्र क्रमांक /राजस्व/12/2137/2000/29 दिनांक 11.10.2000 से रास्ता हेतु आरक्षित किए जाने का नोट अंकित है। चूंकि वादग्रस्त आराजी रास्ता हेतु आरक्षित की जा चुकी है, जो रास्ते के काम आ रही है

तथा वर्तमान में भूमि की किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा कोई उल्लंघन किया जाना प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19/11/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official